बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश

संवेदक Rakesh Construction Pvt. Ltd. शिवजी सिंह बिल्डिंग, डीमना रोड, मानगो, जमशेदपुर–831012 (निबंधन सं०–1210034) द्वारा अपने निबंधन को विभागीय ज्ञापांक 4960 (ई०), दिनांक– 04.10.2024 के द्वारा कालीकृत किए जाने के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका– 11 (घ) के आलोक में अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

2. हिलसा पथ प्रमंडल के अंतर्गत हिलसा नूरसराय पथ के 13वें कि० मी० में उच्च स्तरीय आर० सी० सी० पुल के निर्माण का कार्य संवेदक को आवंटित हुआ था। एकरारनामा की कुल राशि ₹4,55,86,037 एवं कार्य समाप्त करने की अवधि दिनांक–07.12.2021 से एक वर्ष निर्धारित थी।

3. कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया। एकरारनामा विखंडित होने के पश्चात संवेदक के निबंधन को 10 वर्षों के लिए कालीकृत कर दिया गया।

4. संवेदक ने अपने निबंधन को कालीकृत किए जाने के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में Challenge करते हुए याचिका सं०–CWJC 17083/2024 दायर किया। इसके अतिरिक्त संवेदक ने एकरारनामा को विखंडित किए जाने के आदेश को भी रिट याचिका सं०–CWJC/7843/2024 में Challenge किया।

5. माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई के उपरांत CWJCसं०–17083/2024 दिनांक–19.11.2024 को पारित आदेश में संवेदक को सचिव के समक्ष अपील दायर करने का निदेश निबंधन नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया। दूसरी याचिका CWJC/7843/2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 19.09.2024 खारिज करते हुए संवेदक को Arbitrator के समक्ष अपने दावों को रखने का विकल्प दिया गया।

6. CWJC संख्या– 17083/2024 में पारित आदेश के आलोक में संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर विभागीय पदाधिकारियों एवं वादी की उपस्थिति में सुनवाई दिनांक 16.07.2025 को की गई। आवेदक/संवेदक ने कार्य स्थल पर उपलब्ध बाधाओं, प्राक्कलन में अतिरिक्त मदों का प्रावधान करने एवं Diversion बनाने हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य को पूर्ण करने में कठिनाई का उल्लेख किया है। विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा संवेदक के द्वारा कार्य में बरती गई उदासीन रवैये के कारण कार्य को पूर्ण नहीं होने का कारण बताया गया है। उल्लेखनीय है कि एकरारनामा विखंडित होने के पश्चात शेष कार्य को दूसरे संवेदक से पूर्ण करा लिया गया है एवं यातायात चालू है।

7. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली के कंडिका–11 'क' में प्रावधान है कि एकरारनामा में चूक के कारण इसके विखंडन की स्थिति में संवेदक को कालीकृत किया जा सकता है। अतः संवेदक के निबंधन को कालीकृत किए जाने का आदेश वैध है।

(29) आई० टी० मैनेजर,

8. विषयगत मामले की सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि कार्य स्थल पर अवस्थित बाधाओं को ससमय नहीं हटाने के फलस्वरूप भी कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में Rakesh Construction Pvt. Ltd. के निबंधन सं०–1210034 को कालीकृत करने के आदेश ज्ञापांक 4960 (ई०) दिनांक–04.10.2024 के द्वारा संवेदक का निबंधन एक वर्ष से अधिक समय से कालीकृत है, जिसे आदेश निर्गत की तिथि से शेष अवधि के लिए निरस्त किया जाता है।

ह०/–
(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव
पथ निर्माण विभाग।

Speed Post ज्ञापांक– प्र०–7/विविध–04–50/2024– /पटना, दिनांक..............................

E-mail **प्रतिलिपि** :– Rakesh Construction Pvt. Ltd., Shivji Singh Building, Dimna Road, Mango, Jamshedpur, Jharkhand-831012, E-mail ID-rcpljsr@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक– प्र०– 7/विविध–04–50/2024– /पटना, दिनांक.................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक– प्र०– 7/विविध–04–50/2024– /पटना, दिनांक............................

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक– प्र०– 7 / विविध–04–50 / 2024– 8476(E) / पटना, दिनांक 18/12/2025

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

ह०/- 18/12/25

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

SP